न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 65/11 (वाद)

1. श्री उंकारलाल पिता नाथुलाल मादरेचा निवासी सनवाड तह. मावली **मृतक के बजाय** :–

1/1 श्री राजकुमार पिता स्व. उंकारलाल मादरेचा निवासी वार्ड न. 4 सदर बाजार सनवाड तह. मावली।

1/2 श्री मुकेश पिता स्व. उंकारलाल मादरेचा निवासी वार्ड न. 4 सदर बाजार सनवाड तह. मावली।

1/3 श्री गोतम पिता स्व. उंकारलाल मादरेचा निवासी वार्ड न. 4 सदर बाजार सनवाड तह. मावली।

1/4 श्री दिलीप पिता स्व. उंकारलाल मादरेचा निवासी वार्ड न. 4 सदर बाजार सनवाड तह. मावली।

1/5 श्री विक्रम पिता स्व. उंकारलाल मादरेचा निवासी वार्ड न. 4 सदर बाजार सनवाड तह. मावली।

1/6 श्रीमती आशा देवी पुत्री उंकारलाल पत्नी अनिल पोखरना निवासी महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री भेरूसिंह मुतबन्ना एकलिंगसिंह राजपूत निवासी सनवाड तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
3. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री पंकज चौधरी, अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 14.10.2020

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 1207, 2654 किता 2 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर अंकित है। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं. 1 की माता श्रीमती लाडीजी केसरकुंवर पत्नी महाराज साहब एकलिंगसिंह जी राणावत राजपूत निवासी सनवाड ने उक्त वर्णित भूमि में से आराजी नम्बर 2654 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा जिसके सेटलमेन्ट से पूर्व के साबिक आराजी नम्बर 2152 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा थे जो सवंत 2022 के खसरा मिलान भू. प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग में

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:40:47 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमती लाडोजी केसरकुंवर के नाम पर अंकित है जिसके नये आराजी नम्बर 2654 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा पडे उक्त भूमि को जिसके पडोस पूर्व आम रास्ता सनवाड से वासनी जानेवाला, पश्चिम में माधुलाल भवंरलाल राठोड का खेत, उत्तर में मुरलीधरजी के मन्दिर की डोरी व दक्षिण में सोमा मोहन गमेती का खेत, उक्त पडोसों मध्य की भूमि को दिनांक 23.04.1973 ईस्वी को मुझ वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बिल एवज रूपया 300/– तीन सौ रूपया में विक्रय कर कब्जा सिपूर्द किया और उक्त भूमि खरीदने के पश्चात् मैने उक्त भूमि में लाखो रूपयों की लागत लगाई और परिवार सहित श्रम कर काबिल काश्त बनाई, और खरीद की दिनांक से ही मेरा कब्जा होकर मेरे ही उपयोग उपभोग में है और वर्तमान में भी मेरी फसल खडी है। उक्त भूमि खरीदने के पश्चात् मैने विक्रय पत्र की एक प्रति तत्कालीन पटवारी साहब के यहां पेश की थी परन्तु मेरे नाम पर राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हुई और श्रीमती लाडोजी केसरकुंवर के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गयी जबकि कब्जा आज भी मुझ वादी का उक्त भूमि पर खरीद की दिनांक 23.04.1973 ईस्वी से लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है इसलिए मैं वादी उक्त आराजी नम्बर 2654 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि को अपने नाम पर घोषित फरमा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में स्वतन्त्र रूप से अंकन करवाने का अधिकारी हुं।

2. यह कि मुझ वादी का प्राइमाफैसी केस हैं। भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर लगातार 37 वर्षों से बिना किसी बाधा के काश्त करता आ रहा हुं। वर्तमान में भी मेरी फसल खडी हैं। इसलिए कानूनन भी एडवर्स पजेशन के आधार पर उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका हुं।
3. अतः वादी का वाद स्वीकार कर इस अमर की डिक्री फरमाई जावे कि आराजी नम्बर 2654 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा जिसके साबिक नम्बर 2152 है उक्त मेरी खरीदसुदा एवं कब्जेसुदा भूमि को मेरे नाम घोषित फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।
4. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में वादी व प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका हैं। राजीनामें अनुसार ही वाद को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:40:47 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा हो चुका हैं। राजीनामें के अनुसार पक्षकारान वाद को डिक्री कराना चाहते हैं। पक्षकारान की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा तस्दीक किया गया।

6. प्रकरण में वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 2654 जिसके पूर्व साबिक नम्बर 2152 थें। उक्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श 2ए से तत्कालीन खातेदार लाडो जी केसरकुंवर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 23.04.1973 को वादी श्री उंकारलाल को 300/– रूपयें में विक्रय कर कब्जा सिपूर्द किया। श्रीमती लाडो जी केसरकुंवर की मृत्यु हो जाने से उसके वारिस प्रतिवादी सं. 1 के नाम भूमि दर्ज हो गई हैं। प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त विक्रय पत्र की ताईद की हैं तथा राजीनामा पेश कर उक्त भूमि को वादी के नाम दर्ज कराने की सहमति जाहिर की हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से वाद वादी आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप वाद वादीगण आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 2654 किता 1 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी सं. 1 खातेदार भेरूसिंह मुतबन्ना एकलिंगसिंह राजपूत के बजाय वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:40:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री उंकारलाल पिता नाथुलाल मादरेचा निवासी सनवाड तह. मावली **मृतक के बजाय** :–

1/1 श्री राजकुमार पिता स्व. उंकारलाल मादरेचा निवासी वार्ड न. 4 सदर बाजार सनवाड तह. मावली।

1/2 श्री मुकेश पिता स्व. उंकारलाल मादरेचा निवासी वार्ड न. 4 सदर बाजार सनवाड तह. मावली।

1/3 श्री गोतम पिता स्व. उंकारलाल मादरेचा निवासी वार्ड न. 4 सदर बाजार सनवाड तह. मावली।

1/4 श्री दिलीप पिता स्व. उंकारलाल मादरेचा निवासी वार्ड न. 4 सदर बाजार सनवाड तह. मावली।

1/5 श्री विक्रम पिता स्व. उंकारलाल मादरेचा निवासी वार्ड न. 4 सदर बाजार सनवाड तह. मावली।

1/6 श्रीमती आशा देवी पुत्री उंकारलाल पत्नी अनिल पोखरना निवासी महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री भेरूसिंह मुतबन्ना एकलिंगसिंह राजपूत निवासी सनवाड तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
3. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 65/11 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाड़िया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीगण आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 2654 किता 1 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी सं. 1 खातेदार भेरूसिंह मुतबन्ना एकलिंगसिंह राजपूत के बजाय वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.10.2020 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:40:47 IST
Reason: SelfAttested